न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मोहनलाल बनाम [illegible]

दावा मु.नं. – 285/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
20.10.2021	~~पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान~~ 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– कल्याणपुरा में पेश हुई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मय पक्षकार उपस्थित। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किये गये। शिविर में उपस्थित वादी संख्या 2 की पहचान वादीगण वकील श्री फूलचन्द सामोता एड0 द्वारा एंव उपस्थित प्रतिवादी संख्या 2, 3/1 व 4 की पहचान श्री झाबर सिंह भारणी एड0 के द्वारा की गई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किंया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह) 20/10/21

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्पः–कल्याणपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
285/2014	2014/045	30.09.2014	20.10.2021

उनवान

1. मोहनलाल पुत्र श्यामाराम (मृत्तक) के बजायः–
   1/1 गुलाबी देवी पत्नि स्व0 मोहनलाल उम्र–65 साल
   1/2 सुनिल सामोता पुत्र स्व0 मोहनलाल उम्र– 40 साल
2. फूलचन्द पुत्र गौरूराम पौत्र श्यामाराम उम्र– 40 साल
3. बाबूलाल पुत्र गौरूराम पौत्र श्यामलाल उम्र–35 साल
   समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. चन्द्रभान पुत्र हीरालाल उम्र– 55 साल
2. रामगोपाल पुत्र हीरालाल उम्र– 53 साल
3. बीरबल पुत्र नाथूराम – (मृत्तक)
   3/1 धापली पत्नि स्व0 बीरबल
   3/2 बनवारीलाल पुत्र स्व0 बीरबल
   3/3 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 बीरबल
4. गोकुलचन्द पुत्र नाथूराम उम्र– 58 साल
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर
5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री झाबर सिंह भारणी, प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 5

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक मय स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:19 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–ः निर्णय ः–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1629 रकबा 0.80 हैक्टर, 1630 रकबा 0.76 हैक्टर भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.09 चाह कुआं हैक्टर के 3/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के दादा–पिता मृत्तक नाथू पुत्र नून्दा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादीगण का 1/8 हिस्सा है। खसरा नम्बर 1629 व 1630 के 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 1 व 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 2 व 3 वक्त बुर्जुगान से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण से पूर्व उनके बुजुर्गान् काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा वादीगण के बुर्जुगान के नाम उक्त भूमि की खसरा गिरदावरियॉ राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की जानकारी में वक्त बुर्जुगान से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि के कानूनन प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो चूके है तथा उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी है। भूमि खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.09 हैक्टर चाह कुआ में वादीगण के हक 1/08 हिस्सा है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के दादा–पिता मृत्तक नाथू पुत्र नून्दा के नाम दर्ज हिस्सा 3/4 में से 1/8 हिस्सा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वादीगण ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों को समतल व उपजाऊ बनाकर विकसित कर रखी है। वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से वादीगण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण को पहले कई बार कहा परन्तु अब जमीनों की कीमत बढ़ने से प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण [illegible] जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 व प्रतिवादी सं. 3 के कायम मुकामान वारिसान 3/1 से 3/3 के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में आयोजित शिविर में प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:19 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

2, 3/1 व 4 ने उपस्थित होकर वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत स्वीकारोक्ति प्रदान की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा आज ही अन्य प्रतिवादीगणा द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वकुलाय उभय पक्षकारान् के द्वारा किया गया है। बौरान बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ने ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में आयोजित शिविर में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2, 3/1, व 4 ने उपस्थित होकर प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए अपनी-अपनी सहमति व्यक्त की है। वकुलाय उभय पक्षकारान् व उपस्थित पक्षकारान् ने वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों में खसरा नम्बर 1629 व 1630 की खातेदारी प्रतिवादीगण चन्द्रभान रामगोपाल पिता हीरालाल व बीरबल गोकुलचन्द पिता नाथूराम के नाम एंव खसरा नम्बर 1626 की खातेदारी नाथू पुत्र नुन्दा हि0 3/4 के नाम दर्ज रिकार्ड थी। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012, 2013 से 2018 व आगे 2030 तक लगातार उक्त भूमियों में प्रतिवादीगण के दादा नाथू पुत्र नोंदा का नाम शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज इन्द्राज होकर आना प्रतित होता है। खसरा गिरदावरीयों में बालूराम, बोदू राम नाथूराम पुत्र मांगूराम, आदि के नाम दर्ज होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों एंव उपस्थित प्रतिवादीगण की सहमति से वादीगण अपनी कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1629 व 1630 के 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 1 को व 1/2 हिस्सा का वादी सं. 2 व 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातेदारी से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का नाम हजफ किये जाने तथ[illegible] भूमि खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.09 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या [illegible] नाथूराम पुत्र नून्दा के नाम दर्ज हिस्सा 3/4 में से 1/8 हिस्सा [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से मृत्तक नाथू पुत्र नून्दा का नाम हज[illegible] किया जाकर शेष हिस्सा बदस्तूर रखे जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:19 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21
दिलीप सिंह

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1629 रकबा 0.80 हैक्टर व 1630 रकबा 0.76 हैक्टर के 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 1 को व 1/2 हिस्सा का वादी सं. 2 व 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खातेदारी से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का नाम हजफ किया जाता है तथा चाह कुआं भूमि खसरा नम्बर 1628 रकबा 0.09 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता/दादा मृत्तक नाथूराम पुत्र नून्दा के नाम दर्ज हिस्सा 3/4 में से 1/8 हिस्सा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा से मृत्तक नाथू पुत्र नून्दा का नाम हजफ किया जाकर शेष हिस्सा बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20/10/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— कल्याणपुरा

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः— कल्याणपुरा के मजमे—ए—आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:19 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— कल्याणपुरा